

अध्याय V - शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्यों की प्रभावकारिता

सारांश

वर्णित हस्तांतरित कार्यों की प्रभावकारिता के मूल्यांकन के लिए, दो कार्यों अर्थात् घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु जल आपूर्ति एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को नमूना जाँच हेतु चयन किया गया है।

चयनित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार पैरास्टेटल्स को सीधे अनुदान प्रदान कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप इन कार्यों पर शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय नियंत्रण का अभाव था। कार्य निष्पादन की योजना तैयार किए जाने में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका भी न्यूनतम थी। किसी भी नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में वार्षिक विकास योजना तैयार नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, 48 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना भी तैयार नहीं की गई थी। इसके अलावा, चयनित कार्यों के निष्पादन हेतु योजना तैयार किए जाने का अधिकार एक पैरास्टेटल, अर्थात् उत्तर प्रदेश जल निगम के पास निहित था, जिससे शहरी स्थानीय निकायों की स्वायत्तता प्रभावित हुई।

राज्य सरकार के पास शहरी अवसंरचना के विकास एवं सम्बंधित सेवाएँ प्रदान करने हेतु कई प्रमुख पैरास्टेटल अभिकरण हैं, जिनकी अनेक कार्यों के निष्पादन में प्रमुख भूमिका थी। शहरी स्थानीय निकायों के पास पैरास्टेटल अभिकरण के चयन, कार्य आवंटन, कार्यक्षेत्र का निर्धारण करने एवं वित्त पोषण आदि के संबंध में कोई प्राधिकार नहीं था। परिणामस्वरूप, चयनित कार्यों के क्रियान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका मात्र सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रखरखाव तथा मानवशक्ति के प्रबंधन तक ही सीमित थी। चयनित कार्यों की प्रभावकारिता भी असंतोषजनक थी क्योंकि नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकाय, चयनित कार्यों को केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के सेवा स्तर के मापदण्डों के अनुसार प्रदान करने में असमर्थ थे।

5.1 व्यय का अंश

राज्य में वर्ष 2015-20¹ की अवधि में चयनित कार्यों पर सम्पन्न कुल व्यय के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए व्यय के अंश का विवरण निम्न तालिका 5.1 में दिया गया है:

तालिका 5.1- वर्ष 2015-20 की अवधि में चयनित कार्यों पर किए गए व्यय में शहरी स्थानीय निकायों का अंश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शहरी जल आपूर्ति			शहरी स्वच्छता एवं सीवरेज सेवाएँ		
	कुल व्यय	शहरी स्थानीय निकायों का अंश	शहरी स्थानीय निकायों के अंश का प्रतिशत	कुल व्यय	शहरी स्थानीय निकायों का अंश	शहरी स्थानीय निकायों के अंश का प्रतिशत
2015-16	991.53	374.89	37.81	1,024.09	466.62	45.56
2016-17	1,140.01	350.59	30.75	894.02	489.45	54.75
2017-18	819.70	397.29	48.47	1,684.55	643.11	38.18
2018-19	1,079.28	448.89	41.59	2,117.83	817.58	38.60
2019-20	532.39	398.45	74.84	1,337.59	736.66	55.07
योग	4,562.91	1,970.11	43.18	7,058.08	3,153.42	44.68

(स्रोत: वित्त लेखा एवं नगर विकास विभाग का कार्य विवरण)

¹ नगर विकास विभाग वर्ष 2020-21 का डाटा संकलित करने की प्रक्रिया में है तथा वर्ष 2021-22 हेतु संकलन का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।

ऊपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015–20 की अवधि में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता और सीवरेज सेवाओं पर किए गए कुल व्यय में शहरी स्थानीय निकायों के व्यय का अंश मात्र क्रमशः 43 एवं 45 प्रतिशत था। यह इंगित करता है कि इन कार्यों पर किए गए व्यय का प्रमुख भाग पैरास्टेटल जैसे उत्तर प्रदेश जल निगम, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज आदि के माध्यम से किया गया था, जिससे यह पुनः प्रमाणित होता है कि चयनित कार्यों जिनका कि हस्तांतरण किया जा चुका है, मात्र आंशिक रूप से शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए गए थे।

नगर विकास विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि सम्बन्धित पैरास्टेटल्स को कार्यकारी संस्थाओं के रूप में नामित किया गया था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा इन एजेंसियों को सीधे ही धनराशि अंतरित की गई थी।

5.2 कार्य निष्पादन हेतु योजना

14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों (अक्टूबर 2015) के अनुसार, 14वें वित्त आयोग से अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि को बुनियादी सेवाओं² (जलापूर्ति, स्वच्छता, सीवेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित) पर व्यय किए जाने हेतु नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं द्वारा राज्य में लागू प्रासंगिक नियमों एवं विनियमों के अनुसार एक उचित योजना तैयार किया जाना था। इस संबंध में, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 127बी एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 383ए द्वारा, जिनसे शहरी स्थानीय निकाय शासित हैं, वार्षिक विकास योजनाओं को तैयार किया जाना नियत है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2015–20 की अवधि में वार्षिक विकास योजना तैयार नहीं की गई थी जैसा कि प्रस्तर संख्या 4.2.3.6 में वर्णन किया गया है। योजनाओं के अभाव में, वर्ष 2015–20 की अवधि में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 14वें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत प्राप्त कुल धनराशि से सम्पन्न ₹8,544.57 करोड़ का व्यय, वित्त आयोग के दिशा- निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया था।

अतः योजना रहित कार्यों के क्रियान्वयन के कारण, परिषद एवं उसके सदस्य नागरिकों की वैध आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु निर्णय सृजन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हुए। दूसरी ओर, नियोजन के अभाव के कारण, शहरी स्थानीय निकाय बुनियादी सेवाओं की अपर्याप्त अवस्था के साथ तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने में भी असमर्थ थे जैसा कि प्रस्तर संख्या 5.4 में वर्णन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, चयनित कार्यों के कार्य निष्पादन हेतु नियोजन के अन्य प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार थी:

➤ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य को अप्रैल 2017 से पूर्व एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति तैयार करना था। अग्रेत्तर, शहरी स्थानीय निकायों को भी राज्य नीति के अनुरूप एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करना था, जिससे कि ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रणाली से पृथक्करण, संग्रहण, उपचार एवं निस्तारण उचित पर्यावरणीय तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य नीति की अधिसूचना की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार की जानी थी।

² इसमें सेप्टिक प्रबंधन सहित स्वच्छता, जल आपूर्ति, सीवेज एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, सामुदायिक सम्पत्ति का अनुरक्षण, सड़कों का अनुरक्षण, अन्त्येष्टि स्थल, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइटिंग जैसी सेवाएं एवं प्रासंगिक विधानों के अंतर्गत नियत कार्यों से सम्बन्धित अन्य बुनियादी सेवाएं सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा 14 माह की देरी से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति तैयार (जून 2018) किया गया एवं अग्रेतर दस माह से अधिक के विलम्ब से शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों को लागू करने का निर्देश (मई 2019) दिया गया। यद्यपि, किसी भी नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम मथुरा-वृन्दावन एवं झांसी को छोड़कर) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वांछित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार नहीं की गई थी।

➤ इसके अतिरिक्त, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों का यह अनिवार्य कर्तव्य था कि वह समस्त घरों से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को घर-घर जाकर संग्रहण करने एवं संग्रहीत कचरे को प्रसंस्करण सुविधाओं तक पहुंचाने की व्यवस्था करे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत अपशिष्ट से पुनरावर्तनीय सामग्री का पृथक्करण करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी अथवा द्वितीयक भंडारण सुविधाओं की स्थापना करने की भी आवश्यकता थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि, यद्यपि ये गतिविधियां शहरी स्थानीय निकाय के दायरे में आती हैं, राज्य मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन) द्वारा शहरी स्थानीय निकाय से कोई माँग या योजना/प्रस्ताव प्राप्त किये बिना ही अथवा इस सम्बन्ध में किसी आवश्यकता का आकलन किए बिना ही एक मानक ड्राइंग एवं डिजाइन के आधार पर राज्य के प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना का निर्णय (अगस्त 2019) लिया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य मिशन निदेशक द्वारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्वीकृति प्रदान करते समय शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या एवं उनके प्रतिदिन के शहरी ठोस अपशिष्ट उत्पादन क्षमता को संज्ञान में नहीं लिया गया। तदनुसार, समस्त 50 नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकाय में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के सिविल कार्य हेतु ₹16.83³ करोड़ की धनराशि अवमुक्त (अगस्त 2019) कर दी गयी, हालांकि, नवंबर 2021 तक मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप नमूना जाँच किए गए 22 शहरी स्थानीय निकायों में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का सिविल कार्य पूर्ण होने के बावजूद भी नवंबर 2021 तक इसे क्रियाशील नहीं बनाया जा सका।

➤ इसी प्रकार, राज्य मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन) द्वारा वर्ष 2019-20 की अवधि में नमूना जाँच किए गए 50 शहरी स्थानीय निकायों में से 43 शहरी स्थानीय निकायों में घर-घर जाकर ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु आवश्यक मिनी टिपर एवं उपकरणों के क्रय हेतु ₹ 30.05 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी। यह स्वीकृतियाँ निदेशक (स्वच्छ भारत मिशन) द्वारा अपने स्तर पर ही संबन्धित शहरी स्थानीय निकाय के वर्तमान अवसंरचना के संबंध में एक अंतर विश्लेषण⁴ करने के पश्चात निर्गत की गयी थीं।

अग्रेत्तर लेखापरीक्षा में पाया गया कि केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के मानकों के अनुसार 1500 घरों हेतु घर-घर जाकर ठोस अपशिष्ट संग्रहण एवं परिवहन हेतु एक मिनी टिपर की आवश्यकता थी। हालांकि मिनी टिपरों के क्रय में

³ @₹33.67 लाख प्रति मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्रति शहरी स्थानीय निकाय।

⁴ क्षेत्रीय नगरीय एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ की सहायता से वाहनों की आवश्यकता का आकलन किया गया था तथा संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा इसके लिए कोई माँग या योजना या आवश्यकता का आकलन प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इन मानकों का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप 14 शहरी स्थानीय निकायों⁵ में आवश्यकता से अधिक मिनी टिपर क्रय किए गए थे।

अतः शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चयनित कार्यों की नियोजन प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। परिणामस्वरूप, संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

नगर विकास विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि शहरी स्थानीय निकायों से वार्षिक विकास योजनाओं पर आवश्यक कार्यवाई प्रतीक्षित है, हालांकि, अन्य मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी।

5.2.1 केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के नियोजन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका

चयनित कार्यों को प्रदान करने हेतु विभिन्न केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के दिशानिर्देशों के विश्लेषण में पाया गया कि इन योजनाओं के नियोजन प्रक्रिया में शहरी स्थानीय निकायों की या तो कोई भूमिका नहीं थी या सीमित भूमिका थी, जैसा कि निम्न तालिका 5.2 में वर्णित है:

तालिका 5.2: विभिन्न योजनाओं की नियोजन प्रक्रिया में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका

योजना का नाम	योजना का विवरण	तैयार की जाने वाली योजनाओं का विवरण	नियोजन की प्रक्रिया	शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका
अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत)	केंद्र प्रायोजित योजना भारत सरकार द्वारा माह जून 2015 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क आदि जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करना था ताकि सभी के जीवन स्तर, विशेष रूप से गरीबों एवं वंचितों, में सुधार हो सके। योजना की अवधि 2015-20 थी। योजना के अंतर्गत राज्य के 60 शहरों को आच्छादित किया गया था।	प्रावधानों के अनुसार, सभी घरों को जलापूर्ति और सीवरेज (सेप्टेज सहित) से आच्छादित करने हेतु अंतर की पहचान करने के बाद प्रत्येक चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एक सेवा स्तर सुधार योजना तैयार की जानी थी। राज्य स्तर पर, मिशन के अंतर्गत समस्त शहरों के एसएलआईपी को सम्मिलित करके एक राज्य वार्षिक कार्य योजना तैयार की जानी थी और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जानी थी।	सेवा स्तर सुधार योजना, राज्य वार्षिक कार्य योजना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि तैयार करने के लिए एक वाह्य संस्था, परियोजना विकास और प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति की जानी थी।	राज्य सरकार द्वारा मिशन के अंतर्गत शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को नामित किया गया था एवं योजना के अंतर्गत तकनीकी सहायता और परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए परियोजना विकास और प्रबंधन सलाहकार भी नियुक्त किए गए थे। यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने सेवा स्तर सुधार योजना और राज्य वार्षिक कार्य योजना की तैयारी के लिए क्षेत्रीय शहरी पर्यावरण अध्ययन केंद्र, लखनऊ (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का पैरास्टेटल) को नामित (जुलाई 2015) किया था एवं चयनित कार्यों के डीपीआर तैयार करने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (यूपीजेएन) को अधिकृत (दिसंबर 2015) किया था। इस प्रकार, अमृत के अंतर्गत चयनित कार्यों से संबन्धित परियोजनाओं की योजना बनाने एवं क्रियान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों की कोई भूमिका नहीं थी।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	यह योजना भारत सरकार द्वारा खुले में शौच एवं हाथ से मैला ढोने की प्रथा को	योजना के अंतर्गत व्यापक स्वच्छता योजना, जिसमें शहर स्वच्छता योजना,	शहरी स्थानीय निकायों को सलाहकारों की सेवाएं लेते हुए	लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि सीएसपी तैयार करने का उत्तरदायित्व शहरी स्थानीय निकायों को सौंपा गया था, तथापि, नमूना जांच किए

⁵ नगर पालिका परिषद: बलिया, बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), बिलासपुर (रामपुर), चिरगांव (झाँसी), ललितपुर, मऊरानीपुर (झाँसी), पलिया कलां (लखीमपुर खीरी), ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) एवं रामपुर और नगर पंचायत: कठेरा (झाँसी), खमरिया (भदोही), मसवासी (रामपुर), रानीपुर (झाँसी), और शाहाबाद (रामपुर)।

	समाप्त करने, आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि (प्रदान करने के) उद्देश्यों से प्रारम्भ (अक्टूबर 2014) की गई थी।	राज्य स्वच्छता अवधारणा और राज्य स्वच्छता रणनीति सम्मिलित हो को तैयार करने की आवश्यकता थी।	शहर स्वच्छता योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था।	गए 50 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र आठ शहरी स्थानीय निकायों ⁶ ने ही इसे तैयार किया था (नवंबर 2021 तक)।
पं. दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना	नगर पंचायतों और छोटी नगर पालिका परिषदों के निवासियों को जल आपूर्ति, टोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टेज प्रबंधन आदि जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य प्रायोजित योजना 21 मार्च 2018 में प्रारम्भ की गई थी।	योजनान्तर्गत प्रत्येक चयनित नगर पंचायत के लिए एक कार्य योजना एवं मास्टर प्लान के साथ मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी थी।	आवश्यक योजनाएं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एक अनुभवी वास्तुकार/नगर नियोजक द्वारा राज्य सरकार को अग्रोत्तर प्रस्तुत करने और अनुमोदन के लिए तैयार किए जाने थे। वास्तुकार/नगर नियोजक की नियुक्ति जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जानी थी।	नियोजन प्रक्रिया से यह इंगित हो रहा था कि योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन में नगर पंचायत की कोई भूमिका नहीं थी।
स्मार्ट सिटी मिशन	भारत सरकार ने वर्ष 2015 में उन शहरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम ⁷ को प्रारम्भ किया था जो बुनियादी ढांचा सुविधाएं (जैसे पर्याप्त जलापूर्ति, टोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास, ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाइटिंग आदि) प्रदान कर सकें और अपने नागरिकों को एक अच्छी गुणवत्ता का जीवनस्तर प्रदान कर सकें।	कार्यक्रम के अंतर्गत, शहरों को स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करने की आवश्यकता थी जिसमें दूरदर्शिता, संसाधन जुटाने की योजना और बुनियादी ढांचे के उन्नयन और स्मार्ट अनुप्रयोगों के संदर्भ में इच्छित परिणाम शामिल हो। स्मार्ट सिटी प्रस्ताव को रणनीतिक योजना प्रक्रिया के सिद्धांतों का उपयोग करके तैयार किया जाना था और स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया के समय सभी सरकारी विभागों, पैरास्टेटल्स, निजी एजेंसियों और नागरिकों की निधियों का सामंजस्य स्थापित किया जाना था। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, क्रमशः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार एवं सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक	दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करने का कार्य परामर्शदाता फर्मों को सौंपा गया था और इस उद्देश्य के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा परामर्शदाता फर्मों का एक पैनल निश्चित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 2013, के अंतर्गत प्रत्येक चयनित शहरों के लिए स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना बनाने, मूल्यांकन करने, अनुमोदन करने, धनराशि निर्गत करने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए, एक विशेष प्रयोजन वाहन	राज्य सरकार द्वारा नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद के शहरों के संबंध में स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार करने हेतु क्रमशः नगर आयुक्त एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन (जुलाई 2015) किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद के शहरों के लिए क्रमशः मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष प्रयोजन वाहन गठित करने का निर्णय (अप्रैल 2016) लिया गया तथा इन विशेष प्रयोजन वाहन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नगर आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी को नामित किया गया था। लेखापरिक्षा में पाया गया कि मार्च 2020 तक कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 10 शहरों/नगर निगम का चयन किया गया था और उनके स्मार्ट सिटी प्रस्ताव, क्षेत्रीय शहरी और पर्यावरण अध्ययन केंद्र (संसाधन केंद्र के रूप में नामित) और हितधारकों (नागरिकों, विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुखों आदि) की सक्रिय भागीदारी के साथ परामर्शदाता फर्मों द्वारा नगर आयुक्त के निर्देशन में तैयार किए गए थे। इस प्रकार, नियोजन प्रक्रिया, दर्शाती है कि स्मार्ट सिटी प्रस्ताव को तैयार करने में शहरी स्थानीय निकायों की कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। इस

⁶ नगर निगम: झाँसी, मथुरा-वृंदावन और मुरादाबाद, नगर पालिका परिषद: अमरोहा, भदोही, लखीमपुर (लखीमपुर खीरी) और ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) और नगर पंचायत: तालबेहट (ललितपुर)।

⁷ मार्च 2017 से जनवरी 2018 के बीच राज्य के 10 शहरों (आगरा, अलीगढ़, बरेली, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी) को कार्यक्रम के अन्तर्गत चुना गया था।

	उच्च स्तरीय संचालन समिति और एक शीर्ष समिति का गठन स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए किया जाना था। इसके अतिरिक्त, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की परिषद के अनुमोदन के बाद स्मार्ट सिटी प्रस्ताव को इन समितियों को अग्रेषित किया जाना था।	गठित किया जाना था। विशेष प्रयोजन वाहन का नेतृत्व एक पूर्णकालिक सीईओ द्वारा किया जाना था और इसके बोर्ड में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का नामांकन किया जाना था।	बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि तीन नमूना-जॉब किए गए नगर निगम (स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित) में से स्मार्ट सिटी प्रस्ताव को केवल अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नगर निगम झांसी की परिषद में प्रस्तुत किया गया था और वह भी मात्र परिचालन पद्धति के माध्यम से किया गया था।
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, नमूना जांच में चयनित शहरी स्थानीय निकाय)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि या तो शहरी स्थानीय निकायों को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कार्य संपादन की योजना बनाने में स्वायत्तता नहीं थी या उन्होंने इन योजनाओं की नियोजन प्रक्रिया में आवश्यक भूमिका नहीं निभाई।

नगर विकास विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों का समुचित उत्तर नहीं दिया गया (नवंबर 2022)।

5.2.2 कार्य संपादन हेतु योजना बनाने में पैरास्टेटल्स की भूमिका

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के साथ ही, शहरी स्थानीय निकायों को, उन कार्यों के संपादन की योजना बनाने का संवैधानिक अधिकार दिया गया था, जिन कार्यों को उन्हें हस्तांतरित किये जाने की बात कही गई थी। तथापि, कार्य संपादन की योजना बनाने की प्रक्रिया में पैरास्टेटल्स की भागीदारी के कारण, शहरी स्थानीय निकाय की योजना बनाने में कोई भूमिका नहीं थी। चयनित दो कार्यों के कार्य संपादन की योजना बनाने में पैरास्टेटल्स की भूमिका निम्न तालिका 5.3 में वर्णित है:

तालिका 5.3: चयनित कार्यों की योजना में पैरास्टेटल्स की भूमिका

कार्य का नाम	कार्य संपादन के लिए योजना बनाने में पैरास्टेटल्स की भूमिका
घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु जलापूर्ति	<p>उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के संदर्भ में, शहरी स्थानीय निकायों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त निवासियों को पीने एवं घरेलू उपयोग, उद्योग, मनोरंजन और विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु आवश्यक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पीने योग्य जल प्रदान करे। तथापि, राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु योजनाओं के नियोजन, तैयारी, क्रियान्वयन, प्रोत्साहन एवं वित्त प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम नामक एक निगम की स्थापना (जून 1975) की गयी।</p> <p>उक्त अधिनियम में जलापूर्ति सेवाओं में सुधार के लिए और इस संबंध में शहरी स्थानीय निकायों के दायित्वों को पूर्ण करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में जल संस्थानों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया था। इस संबंध में राज्य के चित्रकूट और झांसी क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण जन को सेवा प्रदान किये जाने हेतु शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्रों में जलापूर्ति सेवाओं के आपूर्ति हेतु दो जल संस्थान स्थापित किये गए।</p> <p>इसके अतिरिक्त, राज्य में शहरी गरीबों के उत्थान के लिए नियोजन और योजनाएं तैयार करने के लिए "नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग" के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में राज्य नगरीय विकास अभिकरण को स्थापित</p>

	<p>(नवंबर 1990) किया गया था तथा इसे शहरी स्थानीय निकायों के मलिन बस्तियों में जल आपूर्ति सेवाओं की योजना बनाने और आपूर्ति का कार्य भी सौंपा गया था।</p> <p>इस प्रकार, जल आपूर्ति सेवाओं के सम्बन्ध में नियोजन का अधिकार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश जल निगम के पास था और कार्यकारी एजेंसी को परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि प्रदान करने के अतिरिक्त जल आपूर्ति परियोजनाओं की योजना बनाने, वित्तीय एवं क्रियान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों की कोई भूमिका नहीं थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जल निगम अमृत शहरों के शहरी स्थानीय निकायों में जल संयोजन प्रदान करने की योजना बनाने में भी सम्मिलित था।</p>
<p>सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन</p>	<p>उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार, सीवरेज और सीवेज निस्तारण हेतु नियोजन, क्रियान्वयन, प्रचार और वित्तपोषण से संबन्धित शक्तियां भी उत्तर प्रदेश जल निगम में निहित थीं। इसे अमृत शहरों के शहरी स्थानीय निकायों में सीवर कनेक्शन प्रदान करने हेतु योजना बनाने का कार्य भी सौंपा गया था।</p> <p>उपरोक्त के अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत प्रोसेसिंग प्लान्ट एवं लैण्ड फिल साईट की स्थापना से संबन्धित परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम की एक इकाई) को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता कार्यों में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका मात्र मानव शक्ति के प्रबंधन, वाहनों के परिचालन एवं अनुसंधान इत्यादि तक सीमित थी।</p>

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय)

इस प्रकार, चयनित कार्यों के कार्य निष्पादन के नियोजन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम एक शीर्ष संस्था थी एवं उसे शहरी स्थानीय निकायों के चयनित कार्यों की सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था। चयनित कार्यों की योजना बनाने में शहरी स्थानीय निकायों की कोई भूमिका नहीं थी।

नगर विकास विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार (नवंबर 2022) किया गया।

5.3 कार्यों का क्रियान्वयन


शहरी स्थानीय निकायों के अतिरिक्त, नगर विकास विभाग के पास कई प्रमुख पैरास्टेटल अभिकरण हैं जैसे उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, विभिन्न विशेष प्रयोजन वाहन आदि, जो शहरी आधारभूत संरचनाओं एवं सेवाओं की आपूर्ति अथवा विकास का कार्य करती हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभागों के अंतर्गत अन्य पैरास्टेटल्स जैसे क्रमशः विकास प्राधिकरण (24) आवास एवं विकास परिषद (130 इकाइयां) और विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण (72) और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी शहरी सेवाएं प्रदान करते हैं। पैरास्टेटल्स एवं उनके कार्यों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-VIII** में वर्णित है।

5.3.1 शहरी स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन कार्य

स्थानीय स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं की स्थापना हेतु, हस्तांतरित कार्यों के संपादन पर शहरी स्थानीय निकायों का नियंत्रण आवश्यक है। शहरी स्थानीय निकायों के पास संविधान की 12वीं अनुसूची के 18 विशिष्ट कार्यों से संबन्धित परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकार होना चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों को कार्यों के हस्तांतरण के बावजूद, सरकारी विभाग/पैरास्टेटल कई कार्यों का संचालन कर रहे थे। नमूना- जाँच किए गए शहर आधारित शहरी स्थानीय निकायों के अधीन कार्यों का एक विस्तृत उदाहरण **परिशिष्ट-III** में एवं निम्न **चार्ट 5.1** में दिखाया गया है।

चार्ट 5.1: शहरी स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन में कार्य



इस प्रकार, कई हस्तांतरित कार्यों के संपादन में शहरी स्थानीय निकायों की कोई भूमिका नहीं होने से, हस्तांतरण की प्रभावकारिता कम हुई।


नगर विकास विभाग द्वारा उत्तर दिया गया (नवंबर 2022) कि शहरी स्थानीय निकायों की कार्यों को निष्पादन की क्षमता एवं वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की गई है।

5.3.2 एकाधिक संस्थाओं के नियंत्रणाधीन कार्य

एक आदर्श स्थिति में, शहरी स्थानीय शासन की संस्था होने के कारण शहरी स्थानीय निकायों का शहरी क्षेत्र में समस्त कार्यों के निष्पादन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। एक शहर के सीमा क्षेत्र में काम करने वाली सभी संस्थाओं/पैरास्टेटल्स को शहरी स्थानीय निकायों को रिपोर्ट करना चाहिए एवं उनके निर्देशन में काम करना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार के विभागों, पैरास्टेटल्स को 18 विषयों से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुमति शहरी स्थानीय निकायों से लेना चाहिए।

हालाँकि, उपरोक्त के विपरीत, कई कार्यों के संपादन में पैरास्टेटल्स की प्रमुख भूमिका थी। यहां तक कि शहरी स्थानीय निकायों के पास उनके चयन, आवंटन, कार्य का दायरा तय करने एवं वित्तीयन आदि के संबंध में कोई अधिकार नहीं था। नमूना जाँच किए गए शहर आधारित शहरी स्थानीय निकायों में एकाधिक संस्थाओं के नियंत्रणाधीन कार्यों का एक विस्तृत उदाहरण **परिशिष्ट-III** और निम्न **चार्ट 5.2** में दिखाया गया है।

चार्ट 5.2: एकाधिक एजेंसियों के नियंत्रण में कार्य



इस प्रकार, कई कार्यों के संपादन में शहरी स्थानीय निकायों के नियंत्रण का अभाव था, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त, एकाधिक संस्थाओं की उपस्थिति से समन्वय संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।

नगर विकास विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि शहरी स्थानीय निकायों की कार्यों को निष्पादन की क्षमता एवं वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई है।

5.3.3 शासकीय प्राधिकारियों की अध्यारोही शक्तियाँ

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी स्थानीय निकायों से संबन्धित कार्यों के निष्पादन में सरकारी प्राधिकारियों के पास कई अध्यारोही शक्तियां थीं, जिनका विवरण निम्नवत है:

➤ ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन नियमों के अनुपालन किये जाने की तिमाही समीक्षा करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट/मंडलायुक्त को जिम्मेदार बनाया गया था।

➤ राज्य सरकार के आदेश (अक्टूबर 2012) के अनुसार ₹ 50 लाख, ₹ 25 लाख और ₹ 5 लाख तक के ड्रेनेज के कार्य क्रमशः नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत द्वारा स्वयं निष्पादित किए जाने थे, तथापि, इनसे उच्च लागत के कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम के कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज द्वारा किया जाना था। लेखापरीक्षा में ऐसे कई प्रकरण पाए गए जहाँ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अधिक लागत वाली जल निकासी परियोजनाओं को टुकड़ों में विभाजित कर स्वयं क्रियान्वित किया गया।

➤ राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्गत की गई धनराशि जिलाधिकारी द्वारा बिल पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् ही कोषागार से आहरित की जानी थी। इसके अतिरिक्त राज्य प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कार्य जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सम्पादित किये जाने थे।

➤ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के संबंध में क्रमशः मंडलायुक्त और जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही कार्यों को निष्पादित किया जाना था।

➤ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग अनुदान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आदि के अंतर्गत किए गए कार्यों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए भी जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया था।

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यों के निष्पादन के संबंध में शासकीय अधिकारियों की अध्यारोही शक्तियों ने शहरी स्थानीय निकायों की स्वायत्तता को प्रतिबंधित किया।

नगर विकास विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

5.3.4 चयनित कार्यों के निष्पादन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों को जल आपूर्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यों के नियोजन, डिजाइन, क्रियान्वयन तथा संचालन एवं रखरखाव का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया था ताकि बुनियादी सुविधाएं सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध हो सकें। चयनित कार्यों से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन में शहरी स्थानीय निकाय की भूमिका पर अनुवर्ती प्रस्तारों में चर्चा की गई है:

जल आपूर्ति सेवाएं

जैसा कि पूर्व में प्रस्तर संख्या 5.2.2 में चर्चा की गई थी, राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं का नियोजन, तैयारी, क्रियान्वयन, प्रचार एवं वित्तीयन के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम की स्थापना की गयी थी तथा जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसी के रूप में भी उत्तर प्रदेश जल निगम को नामित किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के बड़े शहरों यथा आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज एवं वाराणसी के लिए संबंधित नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पाँच जल संस्थानों की स्थापना (जून 1975) की गयी थी एवं चित्रकूट⁸ और झाँसी क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार और इस संबंध में शहरी स्थानीय निकायों के दायित्वों को पूर्ण करने हेतु दो जल संस्थानों की स्थापना एक स्वतंत्र निकाय के रूप में की गयी। तथापि, पाँच बड़े शहरों के जल संस्थानों को भंग कर (फरवरी 2010) संबंधित नगर निगम के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन जलकल विभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। शेष झाँसी एवं चित्रकूट क्षेत्र के जल संस्थान संबंधित मंडलायुक्त की अध्यक्षता में स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करते रहे एवं शहरी स्थानीय निकायों में सम्मिलित नहीं हुए। झाँसी जल संस्थान द्वारा 50 में से नौ⁹ नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति सेवा प्रदान किया जा रहा था।

⁸ हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट जिलों को जलापूर्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए अप्रैल 1999 में झाँसी जल संस्थान से अलग हुआ।

⁹ नगर निगम झाँसी, नगर पालिका परिषद: चिरगांव, गुरसराय और मऊरानीपुर (झाँसी) और ललितपुर और नगर पंचायत: कठेरा और रानीपुर (झाँसी), पाली और तालबेहट (ललितपुर)।

यह पाया गया कि जलापूर्ति से संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश जल निगम को सौंपा गया था तथा शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका जलापूर्ति परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव तक ही सीमित थी। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश जल निगम को अमृत योजना से आच्छादित शहरी स्थानीय निकायों में जल संयोजन प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया था जबकि शेष शहरी स्थानीय निकायों में जल संयोजन प्रदान किये जाने का कार्य सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ही किया जा रहा था। झाँसी एवं चित्रकूट क्षेत्र में जल संयोजन प्रदान करने का कार्य शहरी स्थानीय निकायों के स्थान पर जल संस्थान द्वारा किया जा रहा था।

इस प्रकार, उपरोक्त से स्पष्ट है कि जल आपूर्ति से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन में शहरी स्थानीय निकायों की कोई भूमिका नहीं थी और उनकी भूमिका परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव तक सीमित थी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

जैसा कि पूर्व में प्रस्तर संख्या 5.2.2 में चर्चा की गई थी, राज्य सरकार ने सीवरेज एवं सीवेज निस्तारण हेतु योजनाओं की तैयारी, निष्पादन, प्रसार तथा वित्तीयन के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम की स्थापना की। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जल निगम को अमृत योजना से आच्छादित शहरी स्थानीय निकायों में सीवर संयोजन प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया था।

यह भी देखा गया कि राज्य में 3298.84 एमएलडी की क्षमता वाले 104 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट थे, जिनमें से 71 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर विकास विभाग के थे। जून 2019 से पूर्व, नगर विकास विभाग के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन एवं रखरखाव, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जाता था और इन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के सीवरेज नेटवर्क का संचालन एवं रखरखाव संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के नियंत्रण में था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीवरेज नेटवर्क एवं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के उचित रखरखाव हेतु क्रमशः शहरी स्थानीय निकाय एवं और उत्तर प्रदेश जल निगम की अक्षमता के कारण, राज्य सरकार द्वारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवरेज नेटवर्क का संचालन एवं रखरखाव निजी फर्मों को आउटसोर्स किया गया था (जून 2019)। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निजी फर्मों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों के राज्य वित्त आयोग अनुदान से निजी फर्मों को उनकी सेवाओं के लिए भुगतान की जिम्मेदारी भी निदेशक (स्थानीय निकाय) को दी गई थी।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत प्रोसेसिंग प्लान्ट एवं लैण्ड फिल साईट की स्थापना हेतु नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम की एक शाखा) को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र तीन नगर निगमों (लखनऊ, मथुरा एवं मुरादाबाद) में शहरी ठोस अपशिष्ट हेतु प्रोसेसिंग प्लान्ट की सुविधा उपलब्ध थी। इन नमूना-जाँच किए गए नगर निगमों में शहरी ठोस अपशिष्ट के घर-घर संग्रह और परिवहन के साथ-साथ प्रोसेसिंग प्लान्ट एवं लैण्ड फिल साईट के संचालन एवं रखरखाव को भी एक त्रिपक्षीय अनुबंध¹⁰ के माध्यम से कंस्ट्रक्शन और डिजाइन सर्विसेज द्वारा निजी संस्थान को आउटसोर्स किया गया था। शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका मात्र निजी संस्थान के कार्य की निगरानी एवं निजी कंपनियों द्वारा वसूल किए गए यूजर चार्जस की राशि से

¹⁰ अनुबंध के पक्ष के रूप में निर्माण एवं डिजाइन सेवाएं, शहरी स्थानीय निकाय और निजी संस्था सम्मिलित।

उन्हें टिपिंग शुल्क के भुगतान तक सीमित थी। इसके अलावा, इन नमूना-जाँच किए गए नगर निगमों में सड़कों एवं नालियों की सफाई हेतु मानवशक्ति का प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता गतिविधियों के तहत वाहनों और उपकरणों के संचालन और रखरखाव में भी शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका थी। शेष नमूना जाँच किये गए शहरी स्थानीय निकायों में संबन्धित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सड़क एवं नालियों की सफाई के साथ-साथ घर-घर जाकर शहरी ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण एवं परिवहन कर डंपिंग साइट तक ले जाने से संबन्धित गतिविधियों की जा रही थीं।

इसके अलावा, राज्य सरकार के आदेश (सितंबर 2017) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में पूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित किये जाने एवं इस उद्देश्य हेतु निवासियों को जागरूक और संगठित किये जाने हेतु एक स्वच्छ पर्यावरण प्रोत्साहन समिति का गठन किया जाना था। अग्रेतर, प्रस्तावित स्वच्छता कार्यों के लिए रणनीति बनाने हेतु स्वच्छ पर्यावरण प्रोत्साहन समिति की बैठकें प्रति माह आयोजित की जानी थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल 21 नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों¹¹ में स्वच्छ पर्यावरण प्रोत्साहन समिति का गठन किया गया था, हालांकि इन शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ पर्यावरण प्रोत्साहन समिति की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित नहीं की गई थीं। यह स्वच्छता सुनिश्चित करने में शहरी स्थानीय निकायों की कमी का संकेतक था।

इस प्रकार, सीवरेज एवं शहरी ठोस अपशिष्ट से संबन्धित परियोजनाओं के निष्पादन में शहरी स्थानीय निकायों की सीमित भूमिका थी, हालांकि, वे स्वच्छता, शहरी ठोस अपशिष्ट के डोर-टू-डोर संग्रहण और इसके डंपिंग साइट्स आदि तक के परिवहन में लगे हुए थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, तीन नमूना-जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम: झांसी, लखनऊ और मुरादाबाद) में यह भी देखा गया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित कार्यों से संबन्धित परियोजनाओं (जिसका विवरण *परिशिष्ट-IX* में है) का क्रियान्वयन संबन्धित विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया गया था। यह इंगित करता है कि चयनित कार्यों के क्रियान्वयन में नगर निगम एवं विशेष प्रयोजन वाहन के बीच क्रियाकलापों की ओवरलैपिंग थी।

नगर विकास विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु पैरास्टेटल्स को कार्यों के निष्पादन के लिए सम्बद्ध किया गया था।

5.4 चयनित कार्यों की प्रभावशीलता की स्थिति

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन ने चार सेवा क्षेत्रों जल आपूर्ति, सीवरेज निस्तारण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी इत्यादि के लिए सेवा स्तर मापदंडों का सुझाव दिया था (फरवरी 2009)। इन मापदंडों को शासन द्वारा स्वीकार (फरवरी 2016) किया गया था और शहरी स्थानीय निकायों को सेवा स्तर मापदंडों के अनुसार संबन्धित सेवाएं प्रदान करना था। नमूना-जाँच किए गए शहरी स्थानीय

¹¹ नगर पालिका परिषद: अमरोहा, बछरायूं (अमरोहा), बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), भदोही, बिलारी (मुरादाबाद), कोसीकलां (मथुरा), लखीमपुर (लखीमपुर खीरी), ललितपुर, मिर्जापुर, पलिया कलां (लखीमपुर खीरी), और सिरसागंज (फिरोजाबाद) और नगर पंचायत: छाता (मथुरा), गोकुल (मथुरा), ज्ञानपुर (भदोही), जोया (अमरोहा), कछवा (मिर्जापुर), खमरिया (भदोही), खीरी (लखीमपुर खीरी), नौगांव सादात (अमरोहा), तालबेहट (ललितपुर) और ओयलढकवा (लखीमपुर खीरी)।

निकायों द्वारा सेवा स्तर मापदंडों के अनुपालन¹² की स्थिति पर अनुवर्ती प्रस्तारों में चर्चा की गई है:

जलापूर्ति सेवाएं

मार्च 2020 तक राज्य में 707 शहरी स्थानीय निकायों में से मात्र 642 शहरी स्थानीय निकायों में पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध थी, जिसके परिणामस्वरूप 65 शहरी स्थानीय निकायों में पाईप पेयजल आपूर्ति सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में से तीन नगर पंचायतों¹³ में पाइप पेयजल आपूर्ति सेवा उपलब्ध नहीं थी। पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति हैण्डपम्प, बोरवेल इत्यादि के द्वारा की जा रही थी।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में देखा गया कि नमूना जाँच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सेवा स्तर मापदंडों के मानकों के अनुसार जलापूर्ति सेवाएं प्रदान नहीं की गयी। नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2018–19 में सेवा स्तर मापदंडों की उपलब्धि की स्थिति का विवरण *परिशिष्ट-X* में दिया गया है और निम्न तालिका 5.4 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 5.4: वर्ष 2018–19 के दौरान नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जलापूर्ति सेवाओं के सेवा स्तर मापदंडों की उपलब्धि

क्र. सं.	संकेतक	मापदंड	मापदंड हासिल करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	शहरी स्थानीय निकायों का विवरण, जहां मापदंड हासिल किया गया था
1	जलापूर्ति संयोजनों का आच्छादन	100 प्रतिशत	01	नगर पंचायत ज्ञानपुर (भदोही)
2	प्रति व्यक्ति जल की आपूर्ति	135 लीटर	10	दो नगर निगम (लखनऊ और मुरादाबाद), चार नगर पालिका परिषद ¹⁴ और चार नगर पंचायत ¹⁵ ।
3	गैर-राजस्व जल की सीमा	20 प्रतिशत	21	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, 12 नगर पालिका परिषद ¹⁶ एवं आठ नगर पंचायत ¹⁷ ।
4	जल संयोजनों की मीटरिंग की सीमा	100 प्रतिशत	कोई नहीं (केवल पाँच नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ¹⁸ में मीटर स्थापित किए गए थे लेकिन क्रियाशील नहीं थे।)	—
5	आपूर्तित जल की निरंतरता	24 घंटे	कोई नहीं	—

¹² चूंकि लेखापरीक्षा के समय वर्ष 2019–20 के लक्ष्यों के विरुद्ध सेवा स्तर मापदंडों की उपलब्धि की स्थिति उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वर्ष 2018–19 में उपलब्धि की स्थिति पर टिप्पणी की गई है।

¹³ बख्शी का तालाब (लखनऊ), बैरिया (बलिया) और पाकबड़ा (मुरादाबाद)।

¹⁴ बिलारी (मुरादाबाद), बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), लखीमपुर (लखीमपुर खीरी) और मिर्जापुर।

¹⁵ फरिहा (फिरोजाबाद), जोया (अमरोहा), तालबेहट (ललितपुर) और उमरी कलां (मुरादाबाद)।

¹⁶ अमरोहा, बलिया, बछरायूँ (अमरोहा), बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), भदोही, बिलारी (मुरादाबाद), गुरसराय (झाँसी), ललितपुर, लखीमपुर (लखीमपुर खीरी), मऊरानीपुर (झाँसी), मिर्जापुर और स्वार (रामपुर)।

¹⁷ छाता (मथुरा), ज्ञानपुर (भदोही), कटरा मेदनीगंज (प्रतापगढ़), खीरी (लखीमपुर खीरी), ओयलढकवा (लखीमपुर खीरी), रानीपुर (झाँसी), तालबेहट (ललितपुर) और उमरी कलां (मुरादाबाद)।

¹⁸ नगर निगम: झाँसी, नगर पालिका परिषद: लखीमपुर (लखीमपुर खीरी) और मऊरानीपुर (झाँसी) और नगर पंचायत: रानीपुर (झाँसी) और तालबेहट (ललितपुर)।

6	आपूर्ति जल की गुणवत्ता	100 प्रतिशत	26	झाँसी को छोड़कर तीनों नगर निगम, 14 नगर पालिका परिषद ¹⁹ तथा नौ नगर पंचायत ²⁰ ।
7	जलापूर्ति सेवाओं में लागत वसूली	100 प्रतिशत	कोई नहीं	—
8	जलापूर्ति सम्बन्धी प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90 प्रतिशत	09	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन एवं चार नगर पालिका परिषद ²¹ एवं चार नगर पंचायत ²² ।
9	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता	80 प्रतिशत	32	सभी नगर निगम, 18 नगर पालिका परिषद ²³ और 10 नगर पंचायत ²⁴ ।

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय)

इस प्रकार, नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में से किसी भी निकाय द्वारा सेवा स्तर मापदण्डों के अनुसार जलापूर्ति सेवाएँ प्रदान नहीं की जा रही थी, जो इंगित करता है कि नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति सेवाएँ अपर्याप्त थीं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

मार्च 2020 तक राज्य के 707 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 63 शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज सेवाएं आंशिक रूप से उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में से केवल चार शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम: लखनऊ, मथुरा-वृन्दावन एवं मुरादाबाद तथा नगर पालिका परिषद रामपुर) में सीवरेज की सुविधा उपलब्ध थी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के अंतर्गत केवल 32 शहरी स्थानीय निकायों में प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया था, जिसमें से जनवरी 2021 में मात्र 15 प्रोसेसिंग प्लांट क्रियाशील थे। इसी प्रकार नमूना जाँच किये गये 50 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल तीन शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम लखनऊ, मथुरा-वृन्दावन और मुरादाबाद) में प्रोसेसिंग प्लांट की सुविधा उपलब्ध थी। यद्यपि, नमूना जाँच किए गए शेष शहरी स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता की सुविधा प्रदान किये जाने के साथ घर-घर जाकर शहरी ठोस अपशिष्ट के संग्रहित अपशिष्ट को डम्पिंग साइट पर ले जाने का कार्य किया जा रहा था, परन्तु प्रसंस्करण सुविधा के अभाव में, ठोस कचरे का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था, परिणामस्वरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का अनुपालन नहीं हो रहा था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने सेवा स्तर मापदण्डों के मानकों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

¹⁹ बछरायूँ (अमरोहा), बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), भदोही, बिलासपुर (रामपुर), बिलारी (मुरादाबाद), ललितपुर, लखीमपुर (लखीमपुर खीरी), मऊरानीपुर (झाँसी), मिर्जापुर, सिरसागंज (फिरोजाबाद), रसड़ा (बलिया), स्वार (रामपुर), ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) और टूंडला (फिरोजाबाद)।

²⁰ ज्ञानपुर (भदोही), फरिहा (फिरोजाबाद), कछवा (मिर्जापुर), कटरा मेदनीगंज (प्रतापगढ़), मसवासी (रामपुर), रानीपुर (झाँसी), शाहाबाद (रामपुर), तालबेहट (ललितपुर) और उमरी कलां (मुरादाबाद)।

²¹ बलिया, बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), बिलारी (मुरादाबाद) और लखीमपुर (लखीमपुर खीरी)।

²² छाता (मथुरा), फरिहा (फिरोजाबाद), ज्ञानपुर (भदोही) और जोया (अमरोहा)।

²³ चिरगांव (झाँसी), कोसीकलां (मथुरा) और पलिया कलां (लखीमपुर खीरी) को छोड़कर।

²⁴ छाता (मथुरा), ज्ञानपुर (भदोही), फरिहा (फिरोजाबाद), कटरा मेदनीगंज (प्रतापगढ़), मसवासी (रामपुर), नौगावां सादात (अमरोहा), ओयलढकवा (लखीमपुर खीरी), रानीपुर (झाँसी), तालबेहट (ललितपुर) और उमरी कलां (मुरादाबाद)।

सेवाएं प्रदान नहीं की। वर्ष 2018–19 के दौरान नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों में सेवा स्तर मापदंडों की उपलब्धि की स्थिति का विवरण परिशिष्ट–XI में दिया गया है और तालिका 5.5 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 5.5: वर्ष 2018–19 के दौरान नमूना जाँच की गई शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के सेवा स्तर मापदंडों की उपलब्धि

क्र.सं	संकेतक	मापदंड	मापदंड हासिल करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का विवरण, जहां मापदंड हासिल किया गया
1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं का घरेलू स्तर पर आच्छादन	100 प्रतिशत	13	नगर निगम: मुरादाबाद और प्रत्येक छः नगर पालिका परिषद ²⁵ और नगर पंचायत ²⁶
2	शहरी ठोस अपशिष्ट के संग्रह की दक्षता	100 प्रतिशत	26	नगर निगम: मुरादाबाद, 13 नगर पालिका परिषद ²⁷ और 12 नगर पंचायत ²⁸
3	शहरी ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की सीमा	100 प्रतिशत	कोई नहीं	—
4	शहरी ठोस अपशिष्ट की एकत्रित मात्रा	80 प्रतिशत	02	नगर निगम: मुरादाबाद और नगर पंचायत: पाकबड़ा (मुरादाबाद)।
5	शहरी ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण की सीमा	100 प्रतिशत	03	नगर निगम: मथुरा-वृंदावन, नगर पालिका परिषद: रामपुर और नगर पंचायत: मसवासी (रामपुर)।
6	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता	80 प्रतिशत	38	सभी नगर निगम और 17 नगर पालिका परिषद ²⁹ और नगर पंचायत ³⁰ ।
7	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में लागत वसूली की सीमा	100 प्रतिशत	कोई नहीं	—
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के संग्रह में दक्षता	90 प्रतिशत	01	नगर निगम: लखनऊ।

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय)

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि चार नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज सेवाओं की आंशिक उपलब्धता के कारण इनमें से किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने सीवेज नेटवर्क के कवरेज, सीवेज नेटवर्क की संग्रह दक्षता, सीवेज उपचार

²⁵ बछरायूं (अमरोहा), बिलारी (मुरादाबाद), बिलासपुर (रामपुर), रामपुर, स्वार (रामपुर) और ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद)।

²⁶ छाता (मथुरा), फरिहा (फिरोजाबाद), खीरी (लखीमपुर खीरी), पाकबड़ा (मुरादाबाद), रानीपुर (झाँसी) और तालबेहट (ललितपुर)।

²⁷ अमरोहा, बछरायूं (अमरोहा), बिलासपुर (रामपुर), बिलारी (मुरादाबाद), गुरसराय (झाँसी), लखीमपुर (लखीमपुर खीरी), मऊरानीपुर (झाँसी), मिर्जापुर, रसड़ा (बलिया), सिरसागंज (फिरोजाबाद), स्वार (रामपुर), ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) और टूंडला (फिरोजाबाद)।

²⁸ बख्शी का तालाब (लखनऊ), छाता (मथुरा), फरिहा (फिरोजाबाद), ज्ञानपुर (भदोही), जोया (अमरोहा), कटरा मेदिनीगंज (प्रतापगढ़), कछवा (भदोही), मसवासी (रामपुर), पाकबड़ा (मुरादाबाद), रानीपुर (झाँसी), शाहाबाद (रामपुर) और तालबेहट (ललितपुर)।

²⁹ अमरोहा, बछरायूं (अमरोहा), बलिया, बेल्हा प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), भदोही, बिलारी (मुरादाबाद), बिलासपुर (रामपुर), गुरसराय (झाँसी), लखीमपुर (लखीमपुर खीरी), ललितपुर, मऊरानीपुर (झाँसी), मिर्जापुर, रसड़ा (बलिया), स्वार (रामपुर), सिरसागंज (फिरोजाबाद), ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) और टूंडला (फिरोजाबाद)।

³⁰ बख्शी का तालाब (लखनऊ), छाता (मथुरा), एका (फिरोजाबाद), फरिहा (फिरोजाबाद), ज्ञानपुर (भदोही), जोया (अमरोहा), कटरा मेदनीगंज (प्रतापगढ़), खीरी (लखीमपुर खीरी), मनियर (बलिया), मसवासी (रामपुर), नौगवां सादात (अमरोहा), ओयलढकवा (लखीमपुर खीरी), पाकबड़ा (मुरादाबाद), रानीपुर (झाँसी), शाहाबाद (रामपुर), तालबेहट (ललितपुर) और उमरी कलां (मुरादाबाद)।

क्षमता की पर्याप्तता के रूप में सेवा स्तर मापदंडों के अनुसार सीवरेज सेवाएं प्रदान नहीं की थी तथा सीवेज शोधन की गुणवत्ता भी मानक के अनुरूप नहीं थी।

अतः सेवा स्तर मापदंडों का अनुपालन नहीं करना यह इंगित करता है कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं संतोषजनक नहीं थीं।

नगर विकास विभाग ने बताया (नवंबर 2022) कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

अनुशंसा 6 :

जलापूर्ति, स्वच्छता एवं सीवरेज सेवाओं और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत सेवा संपादन प्रणाली में सुधार हेतु सेवा स्तर के मापदंडों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

5.5 निष्कर्ष

केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत चयनित कार्यों से संबन्धित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निधि पैरास्टेटल्स के माध्यम से प्रदान की गई थी। केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत चयनित कार्यों के संपादन हेतु नियोजन एवं क्रियान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका न्यूनतम थी। चयनित कार्यों के निष्पादन में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका केवल संचालन और रखरखाव तक ही सीमित थी। कई पैरास्टेटल्स शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों का निष्पादन कर रहे थे। राज्य सरकार एवं उसके प्राधिकारियों के पास शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्यों के संबंध में अध्यारोही अधिकार थे। चयनित कार्यों का संपादन सेवा स्तर के मापदंडों से कम था।